झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI -834004

Phone.: 0651-2400851/2400852/2400979/2401847, Fax-0651-2400850/138,

Web site : www.jspcb.nic.in; e-mail : ranchijspcb@gmail.com

लोक सुनवाई की सूचना

Development of Litibeda-Ranchi 4-Lane access controlled Greenfield Highway from Litibeda (Junction of SH-10 in Odisha) to Ranchi (Sithiyo) in the State of Jharkhand under Bharatmala Pariyojana (CH 0+000) to Ch 147+500) [Total length-147.500km) by M/s National Highway Authority of India for the length in the District Ranchi की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक **25.02.2023** **(दिन–शनिवार)** को पूर्वाह्न **–11:30** बज़े **"स्थान – Nagri Anchal Office, Ranchi"** में निर्धारित की गई है।

उक्त योजना के सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन F.No.-22-25/2020-IA.III दिनांक 09.06.2021 के अनुरूप Covid-19 के दौरान केन्द्र सरकार और/अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गए दिशा–निर्देशों के आलोक में पर्याप्त समाजिक दूरी, फेस मास्क एवं अन्य सुरक्षा उपाय (Adequate Social Distancing, Face Mask and Other safe guards) का पालन करते हुए लोक सुनवाई में भाग लें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से उक्त लोक सुनवाई की तिथि से **एक सप्ताह पूर्व** तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, **राँची/** पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, क्षेत्रीय कार्यालय, **राँची** में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस0ओ03067(ई०) दिनांक 01.12.2009 एवं कार्यालय ज्ञापन F.No.-22-25/2020-IA.III दिनांक 09.06.2021 के अनुरूप होगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक–एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, **राँची** ।
2. जिला उद्योग केन्द्र, **राँची** ।
3. जिला पर्षद/नगर निगम, **राँची**।
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० डिविजन भवन, पोस्ट– धुर्वा, **राँची**।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, क्षेत्रीय कार्यालय, **राँची**।
6. एकिकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, हरमु बाईपास रोड, राँची – 834 002
7. संबंधित पंचायत।
8. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय।

(यतीन्द्र कुमार दास)
सदस्य सचिव